

## कार्यवृत्त

### उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की दिनांक: 08 नवम्बर, 2024 को सम्पन्न 19वीं बोर्ड बैठक

दिनांक: 08 नवम्बर, 2024 को मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक उडा के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्, सचिव, आवास विभाग/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री उमेश नारायण, अपर सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन। (प्रतिनिधि)
4. श्रीमती कहकशां नसीम, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन। (प्रतिनिधि)
5. श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. श्री सुनील सिंह, संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन। (प्रतिनिधि)
7. श्री मुकेश राय, उप सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन। (प्रतिनिधि)
8. श्रीमती शालू थिन्ड, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
9. श्रीमती परवीन कौर, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

#### बैठक में अन्य उपस्थित अधिकारीगण -

1. श्री उत्तम सिंह चौहान, सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
2. श्री मनोज कुमार जोशी, अधिशासी अभियंता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्री विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
4. श्री टी0एस0 पंवार, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
5. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त एजेण्डा के प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

#### एजेण्डा बिन्दु-19.01

प्रस्ताव:-18वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि।

विवरण:-18वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त समस्त संबंधित सदस्यगण को पत्रांक: 321/उडा-24/बोर्ड बैठक/2020-21, दिनांक: 18 जनवरी, 2024 के माध्यम से प्रेषित किया

*[Handwritten signatures and initials]*

गया। कार्यवृत्त पर किसी भी स्तर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः 18वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:—राज्य प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

### एजेण्डा बिन्दु-19.02

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन से बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा अनुपालन का संज्ञान लिया गया।

### एजेण्डा बिन्दु-19.03

प्रस्ताव :- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में।

विवरण:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय प्रस्ताव के अन्तर्गत प्राधिकरण की आय रू0 22078.51 लाख के सापेक्ष व्यय रू0 22315.05 लाख प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय एवं व्यय के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

		Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Rupees In Lakh
		2023-24	2023-24	2024-25	
<b>(1) राजस्व आय</b>					
1	शासन से प्राप्त धनराशि	600.00	700.00	600.00	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राज्य प्राधिकरण को रू0 600.00 लाख सीड कैपिटल के रूप में अवमुक्त किया गया है।
2	प्राधिकरणों से प्राप्त अंशदान राशि	550.00	-	0.01	प्राधिकरण से ओटीएस आदि मदों से उडा को प्राप्त होने वाले धनराशि का प्रावधान किया गया है।
3	पार्किंग से आय	22.00	21.20	22.00	प्राधिकरण द्वारा कॉम्प्लेक्स स्थित पार्किंग के ठेके पर दिया गया है। जिसमें रू0 22.00 लाख प्रतिवर्ष प्राप्ति निर्धारित है तदनुसार प्रस्ताव किया गया है।
4	विविध आय	0.50	-	0.50	इस मद के अन्तर्गत अपरिभाषित मदों से रू0 0.50 लाख आय की सम्भावना के अनुसार प्रस्ताव किया गया है।
5	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु केन्द्रांश	12,018.80	6,604.80	10,300.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु केन्द्रांश हेतु रू0 10300.00 लाख का प्रावधान है। शहरी विकास निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान तक रू0 3535.80 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

*July*

*130*

6	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु राज्यांश	7,500.00	7,500.00	9,296.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु राज्यांश हेतु रू 9296.00 लाख का प्रावधान है। शासन द्वारा रू0 9596.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।
<b>योग</b>		<b>20,691.30</b>	<b>14,826.00</b>	<b>20,218.51</b>	

### (2) पूंजीगत आय

1	शासन से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु प्राप्त अंशदान	1000.00	1000.00	1350.00	शासन से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के संचालन हेतु प्राप्त अंशदान इस मद के अन्तर्गत रू0 1350.00 लाख का प्रावधान है। शासन द्वारा उक्त धनराशि को अवमुक्त किया जा चुका है।
2	प्राधिकरण से प्राप्त अंशदान राशि (सॉफ्टवेयर क्रय)	400.00	-	400.00	प्राधिकरण से (सॉफ्टवेयर क्रय) हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 400.00 लाख का प्रावधान है।
3	ब्याज से प्राप्त आय (देय)	90.00	104.30	110.00	ब्याज से प्राप्त आय (देय) रू0 110.00 लाख का प्रावधान है।
<b>योग</b>		<b>1490.00</b>	<b>1104.30</b>	<b>1860.00</b>	

### (3) राजस्व व्यय का विवरण

<b>1. अधिष्ठान एवं स्थापना</b>					
1	वेतन एवं भत्ते	150.00	149.36	200.00	राज्य प्राधिकरण में विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन हेतु रू0 200.00 लाख बजट का प्राविधान किया गया है।
2	यात्रा भत्ते	1.50	-	1.50	विभागीय कार्यों हेतु यात्रा के लिए इस मद के अन्तर्गत रू0 1.50 लाख का प्रावधान है।
3	नकदीकरण	20.00	-	20.00	सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख का प्रावधान है।
4	बोनस	0.20	0.14	0.20	कार्यालय के कर्मचारियों हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 0.20 लाख का प्रावधान है।
5	पेशन अंशदान	20.00	15.92	20.00	राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख का प्रावधान है।
6	मानदेय	0.10	-	0.10	इस मद के अन्तर्गत रू0 0.10 लाख का प्रावधान है।
7	सी0पी0एफ0 अंशदान	5.00	4.54	12.00	राज्य प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के सी0पी0एफ0 अंशदान हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 12.00 लाख का

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

					प्रावधान है।
8	ग्रेच्युटी	20.00	-	20.00	सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख का प्रावधान है।
9	अवकाश वेतन अंशदान	3.00	2.50	5.00	राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों इस मद के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख का प्रावधान है।
<b>योग 1 :</b>		<b>219.80</b>	<b>172.46</b>	<b>278.80</b>	
<b>कार्यालय व्यय</b>					
1	दूरभाष/इंटरकोम/डाक व्यय	5.00	3.35	5.00	कार्यालय में संचालन उपयोग होने वाले दूरभाष/इंटरकोम/डाक हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख का प्रावधान है।
2	सर्वे	0.50	-	0.50	कार्यालय द्वारा सर्वे सम्बन्धित कार्यों हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 0.50 लाख का प्रावधान है।
3	सत्कार व्यय	1.00	-	1.00	कार्यालय संचालन हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख का प्रावधान है।
4	पुस्तकालय/समाचार पत्र व्यय	0.25	-	0.25	कार्यालय उपयोगार्थ पुस्तकालय/समाचार पत्र हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 0.25 लाख का प्रावधान है।
5	विविध व्यय	0.50	-	0.50	कार्यालय संचालन में होने वाले व्यय हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 0.50 लाख का प्रावधान है।
6	विज्ञापन	25.00	16.56	25.00	कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के भुगतान हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 25.00 लाख का प्रावधान है।
7	स्टेशनरी/प्रिंटिंग	4.00	1.83	3.00	कार्यालय उपयोगार्थ स्टेशनरी/प्रिंटिंग हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 3.00 लाख का प्रावधान है।
8	कानूनी व्यय	15.00	2.45	15.00	कार्यालय से सम्बन्धित कानूनी वादों हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 15.00 लाख का प्रावधान है।
9	रिसर्चट्रेनिंग/कन्सलटेसी / सेमिनार/ गोष्ठी/कौशल विकास/पी0एम0सी	600.00	177.16	600.00	चारधाम रेलवे मास्टर प्लान एवं कार्यालय में स्थापित पी0एम0यू0 तथा अन्य रिसर्च/ट्रेनिंग/कन्सलटेसी आदि कार्य हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 600.00 लाख का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एच0आर0आर0सी0एल का कार्य यू0आई0आई0डी0बी को हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप धनराशि व्यय

*Handwritten signature/initials*

					नहीं हो पायी।
10	आडिट व्यय	2.00	-	2.00	कार्यालय के आडिट हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 2.00 लाख का प्रावधान है।
11	कार्यालय अनुरक्षण	20.00	7.35	40.00	कार्यालय के मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 40.00 लाख का प्रावधान है।
12	वाहन मरम्मत	12.00	5.19	10.00	कार्यालय के वाहनों के मरम्मत हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 10.00 लाख का प्रावधान है।
13	पेट्रोल एवं तेल तथा किराये के वाहनों का भुगतान।	30.00	27.10	30.00	कार्यालय के वाहनों हेतु पेट्रोल एवं तेल तथा किराये के वाहनों का भुगतान के लिए इस मद के अन्तर्गत रू0 30.00 लाख का प्रावधान है।
14	कम्प्यूटर मरम्मत आदि	5.00	2.24	5.00	कार्यालय के कम्प्यूटर मरम्मत आदि हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख का प्रावधान है।
15	आउटसोर्सिंग मजदूरी	75.00	68.59	75.00	कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 75.00 लाख का प्रावधान है।
16	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु केन्द्रांश	12018.80	6604.80	10,300.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु केन्द्रांश हेतु रू0 10300.00 लाख का प्रावधान है। शहरी विकास निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान तक रू0 3535.80 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।
17	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु राज्यांश	7500.00	7500.00	9,296.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों हेतु राज्यांश हेतु रू0 9296.0 लाख का प्रावधान है। शासन द्वारा रू0 9296.00 अवमुक्त किया जा चुका है।
	<b>योग 2 :</b>	<b>20314.05</b>	<b>14416.62</b>	<b>20408.25</b>	
	<b>महायोग (1+2)</b>	<b>20533.85</b>	<b>14589.08</b>	<b>20687.05</b>	
	<b>(4) पूंजीगत व्यय</b>				
1	मशीनरी एवं सन्यंत्र	5.00	2.32	5.00	कार्यालय में स्थापित मशीनरी एवं सन्यंत्र के क्रय तथा संरक्षण हेतु



  
 No. 

					रु0 5.00 लाख का प्रावधान है।
2	फर्नीचर एवं फिक्सचर	8.00	1.11	10.00	कार्यालय हेतु फर्नीचर क्रय किया जाना है, जिसके लिए रु0 10.00 लाख का प्रावधान है।
3	कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर/ई0आर0पी	350.00	146.93	150.00	कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर/ई0आर0पी हेतु रु0 150.00 लाख का प्रावधान है।
4	वाहन क्रय	30.00	24.74	-	कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक इनोवा वाहन क्रय किया गया है।
5	प्राधिकरण कार्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण/ क्रय/ विस्तार	50.00	-	-	प्राधिकरण कार्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय/विस्तार हेतु इस मद के अन्तर्गत प्रावधान है।
6	शिविर कार्यालयों पर व्यय	3.00	0.20	3.00	शिविर कार्यालयों पर व्यय हेतु रु0 3.00 लाख का प्रावधान है।
7	जिला विकास प्राधिकरणों को निधि का हस्तान्तरण	1000.00	950.00	1350.00	शासन से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु धनराशि रु0 1350.00 लाख अवमुक्त किया गया है।
8	ब्याज से प्राप्त आय (देय)	90.00	104.30	110.00	ब्याज से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने हेतु इस मद के अन्तर्गत रु0 110.00 लाख का प्रावधान है।
		<b>1,536.00</b>	<b>1,229.61</b>	<b>1,628.00</b>	

अतः प्राधिकरण आय-व्यय का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :-**राज्य प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राधिकरण के आय रु0 22078.51 लाख के सापेक्ष व्यय रु0 22315.05 लाख के बजट को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाले अंशदान हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाली आय एवं निर्धारित अंश उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में जमा किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

### एजेण्डा बिन्दु-19.04

**प्रस्ताव :-** राज्य स्तर पर आवास माँग सर्वेक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

**विवरण :-** राज्य स्तर पर समस्त नागरिकों को आवास की उपलब्धता कराये जाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के दृष्टिगत राज्य में वर्ष 2035 तक विभिन्न श्रेणियों जैसे- EWS, LIG, LMIG, MIG तथा HIG के आवासों की माँग के निर्धारण किये जाने तथा इसके साथ-साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के समीप आवास की माँग व उपलब्धता के निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आवास माँग सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिस हेतु उडा के पी0एम0यू0 के सहयोग से आवास माँग निर्धारण किये जाने के लिए उचित संस्था के चयन किये जाने हेतु निविदाएं प्रकाशित की गयी हैं। वर्तमान में निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर, 2024

*Amey*

*AG*

*Sh...*

निर्धारित की गई थी। निविदादाताओं द्वारा अन्तिम तिथि बढ़ाये जाने के अनुरोध पर निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 16 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ायी गयी। निविदाओं के अन्तिमीकरण उपरान्त कार्य माह नवम्बर, 2024 तक प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव माननीय बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :- सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

### एजेण्डा बिन्दु-19.05

**प्रस्ताव :- जनपद पौड़ी के श्रीनगर के समीप बेलकेदार से बेलकण्डी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।**

**विवरण :-** शासन के निदेशों के क्रम में जनपद-पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के समीप बेलकेदार से बेलकण्डी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में टाउनशिप विकसित किये जाने की सम्भावनाओं के संदर्भ में दिनांक: 20.08.2024 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा जनपद पौड़ी के राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। अपर जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित क्षेत्र लगभग 98 हेक्टेयर (235 एकड़) प्रारम्भिक रूप से चिन्हित किया गया है। उक्त स्थल श्रीनगर शहर से लगभग 8 किमी० की दूरी पर स्थित है तथा कीर्तिनगर से श्रीनगर को जोड़ने वाले मोटर पुल के समीप स्थित है। उक्त स्थल पर कुल भूमि क्षेत्रफल में लगभग 54 प्रतिशत भूमि निजी तथा 46 प्रतिशत भूमि राजकीय है। प्रस्तावित स्थल हेतु भूमि से सम्बन्धित सर्वेक्षण जिलाधिकारी, पौड़ी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में उक्त स्थल का टोपोग्राफी सर्वेक्षण किये जाने हेतु आई०टी०डी०ए० से इम्पैनल्ड संस्थाओं से सीमित निविदा के अन्तर्गत अधिप्राप्ति की कार्यवाही उपरान्त फर्म का चयन कर लिया गया है।

उक्त स्थल का टोपोग्राफी व कन्टूर सर्वेक्षण के पश्चात् उक्त स्थल पर टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।


अतः उक्त प्रस्ताव माननीय बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :- सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

### एजेण्डा बिन्दु-19.06

**प्रस्ताव :- राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के सम्बन्ध में।**

**विवरण:-** राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के पत्रांक: एस०एच०ए०/एस०जी०एच०एस०/2023-24/957 दिनांक: 30 नवम्बर, 2023 में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश सख्या: 1256(1)/xxviii(3)21-04-2008 T.C. दिनांक: 25 नवम्बर, 2021 में राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के संबंध में प्रस्तर-22 में निम्नवत् व्यवस्था दी गई है:-



उक्त योजना को राजकीय कार्मिकों/पेंशनर के अलावा स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान (Grants in Aid) उपलब्ध कराती है, पर भी निम्न प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है:-

(A) उक्त संस्थायें अपने गवर्निंग बॉडी, बोर्ड आदि से प्रस्ताव पास कराने के उपरान्त योजना (Scheme) को अंगीकृत कर सकेंगे।

(b) उक्त योजना संबधित संस्थाओं/निकाय/निगम के सभी कार्मिकों हेतु अनिवार्य होगी।

(c) उक्त संस्थायें कार्मिकों/पेंशनर के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती कर धनराशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।

उक्त शासनादेश दिनांक: 25 नवम्बर, 2021 के प्रस्तर-22 के प्राविधानों को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) में लागू किये जाने हेतु स्वास्थ्य योजना को अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है। बोर्ड का अनुमोदित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय के प्रमाण पत्र पर उपलब्ध कराया जाना है कि उक्त सूचना नियमित कार्मिकों/पेंशनरों से सम्बन्धित है, जिसमें संविदा, दैनिक वेतन, तदर्थ/अस्थाई कार्मिक सम्मिलित नहीं हैं।

उक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :- सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

### एजेण्डा बिन्दु-19.07

**प्रस्ताव :- सोरासित्रा काडवा पाटीदार सेवा समाज ट्रस्ट द्वारा-बाबूभाई हरजीमाई गोडासारा के पक्ष में खसरा 644, 702d, 705d, 708, 709, 710, 753d, 754, 755d, 830 [k] 376 मौजा ग्राम-हरिपुरकलां तहसील ऋषिकेश परगना परवादून देहरादून में मानचित्र संख्या सी0-0193/ 23-24 के तहत स्वीकृत आश्रम भवन निर्माण की ऊँचाई 24.00 मी0 किये जाने के सम्बन्ध में।**

**विवरण :-** माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित अध्यक्ष, सोरासित्रा काडवा पाटीदार सेवा समाज ट्रस्ट के पत्र दिनांक: 16 जून, 2024 के माध्यम से ग्राम हरिपुरकलां, हरिद्वार में स्थित आश्रम भवन की ऊँचाई 24 मी0 (भूतल सहित सात मंजिला) के निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि पूर्व में सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक-1237/मानचित्र सेल/सी0-0193/23-24 दिनांक: 14-09-2023 में उल्लेख किया गया है कि "हरिद्वार महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग 18.00 मी0 महायोजना मार्गाधिकार के उपरान्त आवासीय में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005-25 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत आश्रम निर्माण अनुमन्य है। आश्रम हेतु पहुँच मार्ग की चौड़ाई 15.00 मी0 आवश्यक है, जबकि मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग की औसत चौड़ाई 9.75 मी0 है। प्रश्नगत प्रकरण में अन्य तकनीकी मानक यथा-सैटबैक, एफ0ए0आर0, पार्किंग, कवरेज, ऊँचाई आदि प्रचलित उपविधि के मानकों के अनुसार पूर्ण हैं। मात्र पहुँच मार्ग की चौड़ाई में 35 प्रतिशत शिथिलता की आवश्यकता है। "तदनुसार प्रश्नगत प्रकरण पर उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की





18वीं बोर्ड बैठक के क्रमांक: 18.03 में लिये गये निर्णय के अनुसार पहुँच मार्ग की चौड़ाई में 35 प्रतिशत की शिथिलता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदत्त की गयी है—

1. विद्यमान मार्ग (चौड़ाई 9.75 मी0) से प्रश्नगत भूमि से 8.25 मी0 (18.00 मी0-9.75 मी0) अर्थात् 4.125 मी0 रोड़ वाइडिंग छोड़ने के पश्चात एवं मानकानुसार फ्रन्ट सैटबैक छोड़ने के उपरान्त मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही स्थल पर किये गये निर्माण को शमनीत किया जायेगा, यदि कोई निर्माण किया गया हो।
2. विद्यमान मार्ग (चौड़ाई 9.75 मी0) के अनुसार ही सम्पूर्ण भवन का एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

3. उक्त शिथिलीकरण की स्वीकृति के उपरान्त अन्य कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक:- 1251/सी0-0193/23-24 दिनांक: 24 जून, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि शिथिलीकरण प्रतिबन्ध के बिन्दु संख्या-2 में स्पष्ट किया गया है कि विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 9.75 मी0 के अनुसार ही सम्पूर्ण भवन का एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया जाएगा, जिसके क्रम में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यमान मार्ग की चौड़ाई के अनुसार ही प्राधिकरण पर स्वीकृत मानचित्र संख्या- सी0-0193/23-24 को 12.00 मी0 ऊँचाई के अनुसार ही सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत एफ0ए0आर0 1.22 प्रदान किया गया है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन 2015-2019) के अनुसार धार्मिक/आश्रम/धर्मशाला परिसर हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 2.00 अनुमन्य है।


विद्यमान मार्ग 12.00 मी0 होने पर भवन की ऊँचाई 24.00 मी0 अनुमन्य है, जबकि पूर्व में उक्त प्रकरण में आश्रम निर्माण हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग 15.00 मी0 होने के दृष्टिगत 35 प्रतिशत की शिथिलता राज्य प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक में प्रदान की गयी थी। स्थल पर मार्ग की चौड़ाई 9.75 मी0 विद्यमान है, जबकि भवन की ऊँचाई 24.00 मी0 किये जाने हेतु मार्ग की चौड़ाई 12.00 मी0 होना आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई 2.25 मी0 न्यून होने के कारण 18.75 प्रतिशत की शिथिलता आवश्यक है। यथा उक्त छूट सम्बन्धित प्राधिकरण स्तर पर अनुमन्य तथापि पूर्व में राज्य प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार मार्ग की चौड़ाई में 15.00 मी0 के अन्तर्गत अर्थात् 35 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जा चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित छूट पूर्व में दी गई शिथिलता के अन्तर्गत ही है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन 2015-2019) के अनुसार धार्मिक/आश्रम/धर्मशाला परिसर हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 2.00 अनुमन्य है। तत्क्रम में भवन की ऊँचाई 24.00 मी0 किये जाने पर प्रस्तावानुसार उक्त एफ0ए0आर0 2.00 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस प्रकार राज्य प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एफ0ए0आर0 में कोई शिथिलता प्रदान की जानी प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई 2.25 मी0 न्यून होने के कारण 18.75 प्रतिशत की शिथिलता आवश्यक है, जो कि शासनादेश संख्या-1311 दिनांक: 26 जुलाई, 2021 के क्रम में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रेषित।

निर्णय :- प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक दिनांक: 09 जनवरी, 2024 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-18.03 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।





## एजेण्डा बिन्दु-19.08

प्रस्ताव:- आवेदक श्री जगमोहन अरोड़ा व प्राणनाथ अरोड़ा व इन्द्रजीत अरोड़ा पुत्र श्री गोविन्द राम अरोड़ा निवासीगण भूपतवाला, हरिद्वार द्वारा ग्राम आन्नेकी हेतमपुर, परगना रुड़की, हरिद्वार के अंतर्गत खाता सं०- 498 खसरा सं० 1803 रकबा-0.4105 है० प्राणनाथ अरोड़ा व रकबा 05450 है० जगमोहन अरोड़ा व रकबा 04105 है० इन्द्रजीत अरोड़ा व खाता सं०- 670 खसरा नं० 1805अ व 1805ब में रकबा 0.2200 है० इन्द्रजीत अरोड़ा व खाता सं० 93 खसरा नं० 1806 में रकबा 0.2370 है० इन्द्रजीत अरोड़ा व खसरा नं० 1807 में रकबा 0.2360 है० इन्द्रजीत अरोड़ा कुल प्रस्तावित भूखण्ड 20590 वर्गमी० स्थित भूमि का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

**विवरण :-** जगमोहन अरोड़ा व प्राणनाथ अरोड़ा व इन्द्रजीत अरोड़ा पुत्र श्री गोविन्द राम अरोड़ा निवासीगण भूपतवाला हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के पत्र दिनांक: 23.09.2024 के माध्यम से ग्राम-आन्नेकी हेतमपुर परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित खाता सं० 498 खसरा सं० 1803 में रकबा-0.4105 है० प्राणनाथ अरोड़ा व रकबा 0.5450 है० जगमोहन अरोड़ा व रकबा 0.4105 है० इन्द्रजीत अरोड़ा व खाता सं० 670 खसरा नं० 1805अ व 1805ब में रकबा 0.2200 है० इन्द्रजीत अरोड़ा व खाता सं० 93 खसरा नं० 1806 में रकबा 0.2370 है० इन्द्रजीत अरोड़ा व खसरा नं० 1807 में रकबा 0.2360 है० इन्द्रजीत अरोड़ा कुल प्रस्तावित भूखण्ड 20590 वर्गमी० स्थित भूमि का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक- 673/UHUDA-718/2023-24 दिनांक: 07.10.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सुस्पष्ट आख्या सहित अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया। कार्यालय हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पत्र संख्या-3396/भू-उपयोग परिवर्तन आख्या दिनांक: 07 अक्टूबर, 2023 को प्रेषित की गई, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल की समीपस्थ का क्षेत्र बहुतायत में अनियोजित रूप से विकसित हो रहा है, जिस कारण जन सामान्य को मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्तानुसार जन सुविधाओं एवं नियोजित विकास की दृष्टि से उक्त स्थल का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तित किया जाना अपरिहार्य है। आवादी विस्तार एवं नियोजित विकास के अनुपात के असंतुलन/अनियोजित विकास की संभावनाओं को नियंत्रित करना अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक- 722/UHUDA-718/2023-24 दिनांक: 25.10.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ई०पत्रांक- I/18257/NAGRANI-E/ह०रू०वि०प्रा०/2023 दिनांक: 16 नवम्बर, 2023 द्वारा विभागीय अभिमत प्रेषित किया गया है-

1. हरिद्वार महायोजना- 2025/ वांछित सजरा पर हस्तान्तरित नहीं है। अतः प्रश्नगत प्रकरण स्थल की भू-उपयोग ज्ञात किये जाने हेतु प्रश्नगत स्थल से संबंधित वांछित अभिलेख यथा 1Cm=80 मी० के मापक पर की-प्लान, जो किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या मानचित्रकार से प्रमाणित हो, जिसमें स्थल के समीप के मुख्य-मुख्य फीचर्स दर्शाये गये हो, स्थल को उपलब्ध पहुंच मार्ग चौड़ाई, भूखण्ड क्षेत्रफल, आकार आदि अंकित हो एवं भूखण्ड को सजरा मानचित्र पर दर्शाते हुए मानचित्र तथा स्थल को गूगल मैप पर अंकित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग ज्ञात किया जाना संभव हो सके।



2. शासनादेश संख्या- 1311/V-2/21-10 (आ)/2020 दिनांक- 26.07.2021 के बिन्दु संख्या-1.1 के अनुसार 10001, से 50,000 वर्ग मी० भू-क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून में निहित है।
3. शासनादेश संख्या- 1311/V-2/21-10 (आ)/2020 दिनांक- 26.07.2021 को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या- 1/43636/2022 दिनांक- 17.06.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकारों के युक्तियुक्त क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या-3 प्रतिनिधायित अधिकारिता के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अपरिहार्य परिस्थितियों में निकटवर्ती परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक जांचोपरांत औचित्य स्पष्ट करते हुए ही सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों एवं औचित्यपूर्ण होने पर ही सम्पादित की जाये, इस हेतु प्राधिकरण स्तर से यह प्रमाण अवश्य प्रस्तुत किया जाये कि प्रकरण में अपरिहार्य परिस्थितियां हैं तथा भू-उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। उक्त कार्यवाही किये जाने के उपरांत ही प्रकरण के संबंध में विभागीय अभिमत दिया जाना औचित्यपूर्ण होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पत्रांक- 4615/नियोजन/2(ख)48/23-24 दिनांक- 11.01.2024 द्वारा निम्नवत् आख्या प्रेषित की गई है-

1. आपके द्वारा 1Cm=80 मी० के मापक पर की-प्लान, जो किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या मानचित्रकार से प्रमाणित हो, जिसमें स्थल के समीप के मुख्य-मुख्य फीचर्स दर्शाये गये हो, स्थल को उपलब्ध पहुंच मार्ग चौड़ाई, भूखण्ड क्षेत्रफल, आकार आदि अंकित हो एवं भूखण्ड को सजरा मानचित्र पर दर्शाते हुए मानचित्र तथा स्थल को गूगल मैप पर अंकित कर उपलब्ध कराने को कहा गया था, जोकि समस्त सूचनाओं सहित संलग्न है।
2. आपके द्वारा प्राधिकरण से प्रश्नगत स्थल में अपरिहार्य परिस्थितियां होने का प्रमाण मांगा गया है, जिसमें प्रतिउत्तर निम्नवत् है। अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल जिसका भू-उपयोग कृषि है, के सामने सड़क है, जोकि मौके पर लगभग 12 मी० चौड़ी है एवं उसके पीछे ही नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य गतिमान है, जो कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है। जिसके साथ लगे होने के कारण भविष्य में प्रश्नगत स्थल पर किसी ले-आउट को पास किया जा सकता है, जिसमें आवासीय, व्यवसायिक, पार्क जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने वाले लोग भी कर सकते हैं एवं प्रश्नगत पर वर्तमान में कोई कृषि गतिविधियां नहीं कि जाती है। अतः उक्त भूमि कृषि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उपयुक्त प्रतीत होती है।

उपरोक्त के क्रम में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पत्र संख्या-926/नियोजन-2(ख)-48/2023-24 दिनांक- 06 जून, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ई-पत्रांक- 1/18257 दिनांक- 16.11.2023 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच दिनांक- 24.01.2024 पर उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पारित आदेश दिनांक 24.01.2024 के अनुसार प्रकरण प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.01.2024 में रखा गया। प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय 80(13) है। उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के आदेश दिनांक 24.01.2024 के क्रम में शपथ पत्र के पैरा-03 की शर्त के अनुसार कार्यवाही करते हुए स्थल के फोटोग्राफ व शपथ पत्र सहित कार्यवाही एवं अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा आवेदक से की गयी थी, जिसके क्रम में आवेदकगणों का शपथ पत्र दिनांक 06.06.2024 प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा स्थल पर अनाधिकृत विकास कार्य को वर्तमान तक ध्वस्त नहीं किया गया है एवं प्रस्तुत शपथ-पत्र द्वारा स्वयं ध्वस्तीकरण हेतु

*[Handwritten signatures and initials]*

एक माह का समय मांगा गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि पर निर्माण हे सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 5620/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 की प्रति एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पी०आई०एल० संख्या 116/2023 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023 की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड से पारित प्रस्ताव एवं आवेदकगणों के शपथ पत्र दिनांक 06.06.2024 के आधार पर खसरा सं०-1803 रकबा-0.4105 है०, क्षेत्रफल 1.360 है० व 1805मि० क्षेत्रफल 0.220 है० खसरा सं०-1806 क्षेत्रफल 0.2370 है० खसरा सं० 1807 क्षेत्रफल 0.2360 है० कुल क्षेत्रफल 2.0590 है० अर्थात् 20590 वर्गमी० स्थित ग्राम आन्नेकी हेतमपुर, परगना रूड़की तहसील व जिला हरिद्वार के भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही राज्य प्राधिकरण बोर्ड के अधीन शासित होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पत्रांक के क्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक-171/UHUDA-718/23-24 दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून को सुस्पष्ट आख्या सहित अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून के ई०पत्रांक- 1187/NAGRANI-E/उडा/2024 दिनांक- 27 जून, 2024 द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर निम्नानुसार विभागीय अभिमत प्रेषित किया गया है-

1. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-1/18257/2023 दिनांक 16 नवम्बर, 2023 व पत्रांक-1/20308/2024 दिनांक 29 जनवरी, 2024 द्वारा हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण को आख्या प्रेषित की गयी है।
2. उक्त शासनादेश संख्या-1/43636/2022 दिनांक 17.06.2022 के अनुसार प्रतिनिधायित अधिकारिता के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यह शर्त रखी गयी है कि ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अपरिहार्य परिस्थितियों में निकटवर्ती परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक जांचोपरांत औचित्य स्पष्ट करते हुए ही सुनिश्चित किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या-1/43636/2022 दिनांक 17.06.2022 के क्रम में प्राधिकरणों/ उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियां औचित्यपूर्ण होने पर ही सम्पादित की जाये। इस हेतु प्राधिकरण स्तर से यह प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत किया जाये कि प्रकरण में अपरिहार्य परिस्थितियां हैं तथा मानकों में शिथिलीकरण अथवा भू-उपयोग परिवर्तन करना आवश्यक है।
4. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा संस्तुति/असंस्तुति का भी उल्लेख नहीं किया गया है।
5. प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना-2025 में भू-उपयोग कृषि अन्तर्गत प्रदर्शित है।
6. हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के उक्त पत्र में उल्लेखित आवेदकगणों द्वारा दिनांक- 06.06.2024 को प्रेषित पत्र में स्थल पर अनाधिकृत विकास एवं निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने हेतु शपथ पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया किन्तु वर्तमान तक आवेदकगणों द्वारा अनाधिकृत विकास को ध्वस्त नहीं किया गया है। अतः उक्त स्थिति में आवेदक के उक्त शपथ पत्र का क्या औचित्य है।
7. मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-5620/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 के बिन्दु संख्या-15 के पैरा- "it is the state's prerogative to consider whether the existing legal regime is sufficient enough to tackle the menace of unauthorized construction or conversion of agricultural lands into unregulated and unauthorized residential colonies. All that we wish to observe is that the state Government must immediately address the issue and take an

appropriate policy decision in the public interest to prevent unauthorized and illegal constructions over agricultural land and over such lands which are not meant for residential purposes" के सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

8. प्रश्नगत स्थल रोह नदी के समीप स्थित निचली भूमि है जो जल भराव की समस्या से ग्रस्त होना सम्भावित है।

9. प्रश्नगत प्रकरण में स्थल की पहुंच मार्ग चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु बिन्दु- 3,4,6,8,9 तथा कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक-1/20308 दिनांक- 29 जनवरी, 2024 के आलोक में प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन हेतु विचारणीय नहीं है।

मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून के ई0पत्रांक- 1187/NAGRANI-E/उडा/2024 दिनांक- 27 जून, 2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या के क्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून कार्यालय द्वारा पत्रांक- 256/UHUDA-718/2023-24 दिनांक 12.07.2024 द्वारा हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को अभिमत दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार स्तर से आतिथि तक अपेक्षित है।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के मद संख्या- 80(13) में लिये गये निर्णयानुसार "आवेदक श्री जगमोहन अरोड़ा व प्राणनाथ अरोड़ा व इन्द्रजीत अरोड़ा निवासीगण- भूपतवाला, हरिद्वार द्वारा ग्राम आन्नेकी हेतमपुर, परगना रूड़की हरिद्वार के अंतर्गत खाता सं0- 498 खसरा सं0 1803 रकबा-0.4105 है0 प्राणनाथ अरोड़ा व रकबा 05450 है0 जगमोहन अरोड़ा व रकबा 04105 है0 इन्द्रजीत अरोड़ा व खाता सं0- 670 खसरा नं0 1805अ व 1805ब में रकबा 0. 2200 है0 इन्द्रजीत अरोड़ा व खाता सं0 93 खसरा नं0 1806 में रकबा 0.2370 है0 इन्द्रजीत अरोड़ा व खसरा नं0 1807 में रकबा 0.2360 है0 इन्द्रजीत अरोड़ा कुल प्रस्तावित भूखण्ड 20590 वर्गमी0 स्थित भूमि का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति/सहमति के साथ उडा बोर्ड को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।"

अतः हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बोर्ड बैठक द्वारा प्रस्तुत की गई संस्तुति के क्रम में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा सभी तथ्यों के आलोक में प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति की गयी है। अतः हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के बोर्ड द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार अग्रेत्तर समस्त कार्यवाही हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा सुनिश्चित की जाए।


अन्त में सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों तथा अधिकारीगण का आभार व्यक्त करते हुए, मा0 अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)  
मुख्य प्रशासक।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,  
राजीव गाँधी बहुदेशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून।  
पत्रांक:- 287 /उडा-24/बोर्ड बैठक/2020-21 दिनांक: 25, नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, शहरी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10. बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यगण एवं अधिकारीगण।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
13. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
14. गार्ड फाइल।

  
(प्रकाश चन्द्र दुस्का)  
संयुक्त मुख्य प्रशासक।